संख्या-197/2015/3747/नौ-5-2015-66बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
बिसण्डा बुजुर्ग(बाँदा) एवं कोटरा(जालौन)

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित 02 नगर पंचायतों को सड़कों के निर्माण हेतु कुल **रू. 69.19 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **कुल रू. 34.59 लाख (रू चौंतीस लाख उनसठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बाँदा	नगर पंचायत, बिसण्डा बुजुर्ग	बबेरू रोड से खम्हरिया दाई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	34.42	
			योग	**34.42**	**17.21**
2	जालौन	नगर पंचायत, कोटरा	1. वार्ड नं. 5 में नरसिंह उत्तरी में बस स्टैण्ड से रामस्वरूप के मकान कीओर इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	12.15	
			2. वार्ड नं. 7 में मुहल्ला नरसिंहजी उत्तरी में रामस्वरूप के मकान से मेवा के मकान की ओर इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	6.13	
			3. वार्ड नं. 9 में मुहल्ला मुगलानाघाट में मदुल्ले के मकान से प्रहलाद ठाकुर के मकान की ओर इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	7.34	
			4. वार्ड नं. 6 में मुहल्ला नरसिंह में नरसिंह मन्दिर से मोती के मकान की ओर इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	9.15	
			योग	**34.77**	**17.38**
			महायोग	**69.19**	**34.59**

(रू. चौंतीस लाख उनसठ हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दि0 07 जून, 2013 तथा शासनादेश सं0-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013, 10 सित, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रस्तुत आगणन में प्रार्थित धनराशि एवं उक्त निकायों को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के अन्तर/बढी हुई धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-12-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
12. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-197/2015/3747(1)/नौ-5-2015-66बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र.इलाहाबाद।
7. संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-19/06/2015

प्रेषण संख्या:- 197-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-197-2015-3747-9-5-2015-66Ba-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जालौन-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1738000 1738000	1738000 1738000
2	बांदा -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1721000 6049000	1721000 6049000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3459000 7787000	3459000 7787000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख उनसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सतहत्तर लाख सत्तासी हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव